

राज्य बीमा एवं प्रावधार्यी निधि विभाग

(साधारण बीमा निधि)

"डी" ब्लॉक, द्वितीय मंजिल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।

फोन: 2740219, 2740292

20-7-10

239

क्रमांक: प.4(छात्र सुरक्षा) / अनु.व गैर अनु.शिक्षण / 2010 / २४५८ दिनांक: 12.7.10

१५०८

1. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
4. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
5. उप कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
6. उप कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
7. उप कुलपति, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर
8. उप कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
9. उप कुलपति, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
10. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर
11. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक, शिक्षा बीकानेर
12. समन्वयक, रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय, ग्राम मदाऊ, पो० भांकरोटा, जयपुर

विषय:- अनुदानित / गैर अनुदानित विद्यालय / शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि इस विभाग द्वारा वर्ष 1991 से साधारण बीमा से संबंधित विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसमें वर्ष 1996 से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना भी एक प्रमुख योजना है। उक्त योजना को अनुदानित एवं गैर अनुदानित विद्यालयों / संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उक्त पॉलिसी का विस्तार करने की वित्त विभाग ने अपनी सहमति पत्र क्रमांक प.4(7) वित्त / राजस्व / 2002 दिनांक 11.12.02 के द्वारा दी हुई है जिसके अनुसरण में विभाग द्वारा कुछ जिलों में तो अधिकाधिक शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों का बीमा किया हुआ है किन्तु आज भी बहुसंख्यक विद्यार्थी उक्त सुरक्षा कवच से बाहर है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में दिन-प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रातःकाल उठते ही प्रत्येक समाचार पत्र का हर कोना हमें दुखः भरी घटनाओं से अवगत कराता रहता है। इसी क्रम में कुछ महीनों पूर्व सवाईमाधोपुर जिले के मोरेल नदी में एस.टी.सी. कॉलेज, झालावाड़ के छात्र / छात्राओं से भरी बस दुर्घटना एवं उसके फलस्वरूप 20-25 विद्यार्थियों की दर्दनाक मौत का उदाहरण भी हमारे सामने है।

विभाग द्वारा संचालित उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं :-

1. उक्त योजना अब 15 अगस्त, 2010 से 14 अगस्त, 2011 तक के लिए मान्य होगी चूंकि राज्य में सभी विद्यालयों में 31 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न हो जाती है तथा बीमा अवधि भी परीक्षा परिणामों तक के लिए युक्तियुक्त है। यदि किसी

- संस्थान के विद्यार्थियों के लिए पूर्व में कोई पॉलिसी जारी हो तो उपर्युक्तानुसार अवधि के लिए संशोधित पॉलिसी जारी की जायेगी तथा पॉलिसी का प्रीमियम प्रोरेटा बेसिस पर लिया जायेगा।
2. अनुदानित एवं गैर अनुदानित शिक्षण संस्थानों की कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु जारी पालिसी अब कनिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना कहलायेगी। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिला अधिकारी अपने स्तर पर अनुदानित गैर अनुदानित विद्यालय/शिक्षण संस्थाओं के कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों हेतु प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 20,000/- रु. बीमाधन हेतु प्रीमियम राशि 10/- रुपये (सेवा शुल्क सहित) प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष के लिए प्राप्त कर पॉलिसी जारी कर सकेंगे। यदि किसी शिक्षण संस्था में 500 से अधिक विद्यार्थी बीमित हो तो प्रीमियम राशि 8/- रुपये (सेवा शुल्क सहित) प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष होगी।
 3. अनुदानित एवं गैर अनुदानित शिक्षण संस्थानों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु जारी पालिसी अब वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना कहलायेगी। इसके अन्तर्गत उक्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी रु. 50,000/- के बीमाधन हेतु प्रीमियम राशि रु. 25/- (मय सेवा शुल्क) प्रति छात्र प्रति वर्ष लिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि किसी शिक्षण संस्था में 500 से अधिक विद्यार्थी बीमित हो तो प्रीमियम राशि रु. 20/- (सेवा शुल्क सहित) प्रति छात्र प्रति वर्ष होगी।
 4. उक्त योजना का विस्तार इस वर्ष से निम्न शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों तक किया जाता है, इन संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु जारी पालिसी उच्च शिक्षा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना कहलायेगी।

- (i) राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी बी. एड. एवं एस. टी. सी. कॉलेज,
- (ii) राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेज,
- (iii) राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी पॉली टेक्नीक कॉलेज,
- (iv) राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज,
- (v) राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय,

योजना में उक्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी रु. 1,00,000/- के बीमाधन हेतु प्रीमियम राशि रु. 50/- (मय सेवा शुल्क) प्रति छात्र प्रति वर्ष लिया जाना निर्धारित किया गया है।


5. यह कि इस विभाग के सभी जिलों में कार्यालय स्थापित हैं जहां पर सहायक निदेशक एवं उप निदेशक स्तर के अधिकारी पदस्थापित हैं। अतः उनके द्वारा संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए पॉलिसी जारी की जायेगी तथा योजना में प्राप्त दावों का निस्तारण भी उनके स्तर पर भी किया जायेगा।
6. पॉलिसी के साथ जारी किये जाने वाले शिड्यूल में पॉलिसी नम्बर जीआईएस/81/ जीपीए/एसएसआई/जिले का नाम/2010/पॉलिसी संख्या अंकित करते हुये बीमित संस्था का नाम व पता, अवधि, कुल राशि (प्रीमियम+सेवा शुल्क) विद्यार्थियों की संख्या एवं बीमाधन 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये मात्र) अथवा 50000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) अथवा 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक छात्र/छात्रा इत्यादि का विवरण अंकित करना आवश्यक होगा।

241

7. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना योजना का लाभ निम्न प्रकार की क्षतियों पर देय होगा:-

क्र. सं.	दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार	दुर्घटना पर देय लाभ / बीमाधन		
		कक्षा 1 से 8	कक्षा 9 से 12	उच्च शिक्षा
1.	दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर	20000 रुपये	50000 रुपये	100000 रुपये
2.	दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति पर	20000 रुपये	50000 रुपये	100000 रुपये
3.	दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर	10000 रुपये	25000 रुपये	50000 रुपये
4.	उपरोक्त क्षतियों के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत विद्यार्थी के सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में	20000 रुपये	50000 रुपये	100000 रुपये
5.	आंशिक क्षतियों की दशा में:- (अ) श्रवण शक्ति की क्षतियों की दशा में:- 2. श्रवण शक्ति की पूर्ण क्षति:- (दोनों कानों की क्षति) 2. श्रवण शक्ति की क्षति (एक कान की पूर्ण क्षति)	10000 रुपये	25000 रुपये	50000 रुपये
	(ब) एक हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति 3. एक हाथ के अंगूठे एवं चारों अंगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलस्थियों की क्षति) 4. एक हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त चारों अंगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलस्थियों की क्षति)	3000 रुपये	7500 रुपये	15000 रुपये
	(स) हाथ के अंगूठे की क्षति : 3. हाथ के अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति) 4. हाथ के अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थी की क्षति)	8000 रुपये	20000 रुपये	40000 रुपये
	(द) हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षति 4. किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियों की क्षति पर 5. किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियों की क्षति पर 6. किसी भी अंगुली की एक अंगुलस्थी की क्षति पर	7000 रुपये	17500 रुपये	35000 रुपये
	(ए) पांव के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति की दशा में: (i) दोनों पांवों की समस्त पांवांगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलस्थियों की क्षति) (ii) पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति) (iii) पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थी की क्षति) (iv) अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति)	5000 रुपये	12500 रुपये	25000 रुपये
		2000 रुपये	5000 रुपये	10000 रुपये
		1600 रुपये	4000 रुपये	8000 रुपये
		800 रुपये	2000 रुपये	4000 रुपये
		4000 रुपये	10000 रुपये	20000 रुपये
		1000 रुपये	2500 रुपये	5000 रुपये
		400 रुपये	1000 रुपये	2000 रुपये
		200 रुपये प्रति अंगुली	500 रुपये प्रति अंगुली	1000 रुपये प्रति अंगुली
6	दुर्घटना के कारण आयी चोटों के परिणाम स्वरूप 24 घण्टे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी एवं प्राईवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र, दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार लाभ देय है।	1000 रुपये	5000 रुपये	10000 रुपये
नोट	उक्त योजना में निम्न राशि से अधिक लाभ देय नहीं होगा।	20000 रुपये	50000 रुपये	100000 रुपये

8. संबंधित शिक्षण संस्थाओं के प्रोजेक्ट फार्म भरवाते समय छात्र/छात्रा का पूर्ण विवरण यथा नाम, पिता का नाम, उम्र, कक्षा का रोल नम्बर, एनरोलमेंट नम्बर, शारीरिक विकलांगता इत्यादि का विवरण होना आवश्यक है।
9. किसी भी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु/क्षति होने पर दावा प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा। जिसमें विमुक्ति पत्र पर संबंधित क्षेत्र के एम.एल.ए./प्रधान/मेयर/सरपंच/पार्षद/कार्यकारी अधिकारी (नगर पालिका)/चैयर मेन/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।
10. उक्त योजना में किसी भी विद्यार्थी के दुर्घटनाग्रस्त होने या दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर 6 माह के भीतर दावा विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें एक निर्धारित दावा प्रपत्र तथा इसके साथ दुर्घटना के साक्ष्य के फलस्वरूप स्थानीय पुलिस में दर्ज करायी गयी एफ.आई.आर, इलाज विवरण, दस्तावेज, मृत्यु होने की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस का अंतिम जाँच प्रतिवेदन, पंचनामा, संस्था प्रधान की अनुशंसा पत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
11. अतः इस पत्र के माध्यम से आप से अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं/महाविद्यालयों के संचालकों/प्राचार्यों को अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करें कि वे उनके यहां अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का उक्त बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित करावें, ताकि किसी भी विद्यार्थी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर यथा उल्लेखित राशि उन्हें इलाज हेतु एवं बीमित विद्यार्थी की दुर्घटना के कारण दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर उसके माता-पिता/अभिभावक को उपरोक्तानुसार सहायता राशि प्राप्त हो सकें।

भवदीय,


(आर.के.जैन)

आयुक्त


राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.4(छात्र सुरक्षा)/अनु.व गैर अनु.शिक्षण/2010/ २८५६ -२९०९ दिनांक: १२-७-१०

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधार्यी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधार्यी निधि विभाग, सम्भाग।
3. उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधार्यी निधि विभाग,।


 अतिरिक्त निदेशक,

कार्यालय, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.24(197)लेखा-ए/अनु/आकाश/विविध/06/३१९७

दिनांक-२७-७-१०

सचिव/प्राचार्य/प्रशासक,

समस्त अनुदानित महाविद्यालय,

राजस्थान, जयपुर।

विषय:- महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में
 संदर्भ:- राज्य बीमा एवं प्रावधार्यी निधि विभाग का पत्रांक प.4(छात्र सुरक्षा) /अनुवगैर अनु.शिक्षण/2010/ 2846 दिनांक 12.7.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित करावे।


 संयुक्त निदेशक (अनुदान)
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर